# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
# Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission


पत्रांक /Ref. No.: 211.................... दिनांक /Date.: 24/06/2021

## संवाद–125

**विषयः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र धारित न होंने पर आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में :–**

**प्रिय अभ्यर्थियों,**

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बेरोजगार संघ व विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आयोग द्वारा विज्ञापित 746 पदों, कनिष्ठ सहायक व अन्य पद के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय EWS श्रेणी के आरक्षण का विकल्प चुना गया है, किंतु तहसील कार्यालय में उनके प्रमाण–पत्र नहीं बन सके है या नवीनीकरण नहीं हो सके है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को EWS श्रेणी का लाभ दिया जाय। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक उस श्रेणी के आरक्षण का विधिक प्रमाण–पत्र धारक होना आवश्यक है उसके बिना संबंधित आरक्षित श्रेणी का लाभ अभ्यर्थियों को दिया जाना संभव नही हैं क्योंकि इससे कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर सकता है।

आयोग समय–समय पर आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर दे रहा है ऐसे में अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण का विवरण त्रुटिपूर्ण भर दिया गया है तो वे संशोधन के समय EWS श्रेणी से सामान्य या अन्य श्रेणी का विकल्प चुन सकते है जिससे उनके आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण न रहें। अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे संशोधन का अवसर दिये जाते समय इसका लाभ लें ऐसी सभी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को समयांतर्गत ठीक कर लें।

**आयोग की ओर से,**

24/6/21

**(संतोष बडोनी)**
**सचिव।**